# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 द0प्र0सं0

वाद सं0 134/2021-22

| आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1<br>20/8/22 | उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 04/2022 दिनांक 20/01/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) होलिका देवी उम्र 24 वर्ष पति सहदेव गोप (2) सहदेव गोप उम्र 22 वर्ष पिता करमा गोप दोनो ग्राम गोजा थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) बिगु गोप उम्र 45 वर्ष पिता बिरसा गोप (2) शांति देवी उम्र 40 वर्ष पति बिगु गोप दोनो ग्राम गोजा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच आपसी विवाद, को लेकर विवाद है। विवाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार द0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।<br><br>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-<br><br>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित ।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बसिया (गुमला)।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) | |

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.09.09 11:51:07 +05:30
Location: 192.168.235.239